कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना

Email:wkcdivkhutauna@gmail.com

पत्रांकः– खुटौना/ दिनांकः–

पुनर्कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या – 02/2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण, सम्पर्क कार्य एवं नहरों के निरीक्षण इत्यादि कार्यों के लिए इस प्रमंडल के अन्तर्गत कार्यरत अवर प्रमंडल पदाधिकारियों हेतु भाड़े पर 01 (एक) अदद् Scorpio/Bolero (Non A/C) वाहन उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/Firm से पुनर्कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। पुनर्कोटेशन बन्द लिफाफे में दिनांक–23.05.2026 को 03:00 बजे अपराहन तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाएगा एवं उसी दिन 03:30 बजे अपराहन में कोटेशनदाताओं की उपस्थिति में यदि वे रहना चाहे, खोला जाएगा।

1. पुनर्कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक–07.05.2026
2. पुनर्कोटेशन जमा करने की तिथि : दिनांक–23.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न् तक।
3. पुनर्कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के कार्यालय में (कार्यालय अवधि मे)।
4. पुनर्कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–23.05.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना।

पुनर्कोटेशन की अन्य शर्ते निम्न प्रकार हैः–

6. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
7. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन कार्ड कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
8. कोटेशनदाताओं को वितीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	ईंधन सहित मासिक भाड़ा (1200 कि०मी० तक) (जी०एस०टी०, आई०टी० एवं सभी कर सहित)

9. भाड़े पर वाहन का एकरारनामा मार्च 2027 तक के लिए किया जायेगा।
10. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
11. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
12. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
13. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
14. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।

15. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया ईंधन सहित(1200 कि०मी० तक) मासिक भाड़ा 30000.00 देय होगा। 1200 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर ईंधन का खर्च प्रतिलीटर 10 कि०मी० की दर से संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

16. वाहन का उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंध आवश्यक प्रविष्टि करेंगें, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन सहित भुगतान किया जायेगा।

17. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, मधुबनी जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रू० 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नही रहने पर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार/ आवंटन के अनुरूप भाड़े के निरीक्षण वाहनों का एकरारनामा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

18. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेश प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

19. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।

20. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगें।

21. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगी। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन के भाड़े का भुगतान दो गुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।

22. कोटेशन को कभी भी बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

23. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

24. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।

25. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरूद्ध निर्णित मासिक दर से ईंधन रहित भुगतान होगा।

26. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो, मान्य होगा।

27. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहां रह भी सकता है उक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

28. वाहन की भाड़े की भुगतान आवंटन की उपलब्धता रहने पर ही की जायेगी। आवंटन उपलब्ध नहीं होने तक वाहन की भाड़े की भुगतान का वहन स्वयं वाहन मालिक/फर्म का दयित्व होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 9 से 28 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक सफल कोटेशनदाताओं का समान न्यूनतम काटेशन दर की स्थिति में सफल कोटेशनदाता का चयन **बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका 163 के अनुरूप लॉटरी के माध्यम** से किया जायेगा।

शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

(अमित कुमार)
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना।
07.05.26

पत्रांकः– 589 खुटौना/ दिनांकः– 07-05-2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–संपर्क पदाधिकरी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय/ स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित।

(अमित कुमार)
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना।
07.05.26